



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD

4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर

फोन नं.: 5101871, 5101872, ईपीवीएक्स: 5159600, 5159699 फैक्स: 5159694-97

क्रमांक: एफ III (591)/रा.प्र.नि.मं./स्था./ 181

दिनांक: 22 अप्रैल, 2021

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर जारी विज्ञापित विज्ञापन संख्या प03(561)राप्रनिमं/स्था/सीधी भर्ती/2020/2205 दिनांक 21-12-2020, समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक 3084 दिनांक 12-3-2021 एवं समसंख्यक संशोधित आदेश क्रमांक 17 दिनांक 05-04-2021 के क्रम में सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा, 2020 में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों के जारी अस्थाई (Provisional) परीक्षा परिणाम के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20-01-2006 एवं वित्त वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प015(1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30-10-2017 के अनुसार दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 31,100/- (शब्दों में इकतीस हजार एक सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प01(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 13-3-2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र०स०	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	वर्ग/श्रेणी	जन्म तिथि
1	2	3	4	5
1.	204938	शिवेन्द्र सिंह		20-12-1983
2.	202158	आस्था शर्मा	ई0डब्ल्यू0एस0 (महिला)	28-07-1997
3.	203436	प्रकाश चन्द बलीवाल	बी0सी0	04-06-1993
4.	200962	संजय कुमार सिंह		18-11-1984
5.	203443	कोमल पंच	महिला	02-05-1996
6.	204002	अनुराग शर्मा		26-08-1992
7.	205023	सुमित दहिया		17-03-1994
8.	202632	ऋषभ देव मिश्रा		10-07-1997
9.	201982	छवि कुमार जांगिड़	बी0सी0	10-01-1996
10.	201570	प्रियांशी तिवारी	महिला	04-11-1997
11.	203153	रामकृष्ण दूबे		26-03-1998
12.	201520	भूपेन्द्र कुमार शर्मा	ई0डब्ल्यू0एस0	01-07-1992
13.	204131	राजवीर कसाना	एम0बी0सी0	16-11-1996
14.	202057	अंकित कुमार शर्मा	ई0डब्ल्यू0एस0	06-04-1995
15.	204289	अश्वनीकुमार बेनीवाल	बी0सी0	16-04-1993
16.	203194	अंकित कुमार	बी0सी0	16-11-1999
17.	203854	उदित सोनी	बी0सी0	06-06-1986

18.	205219	कैलाश दान	बी०सी०	
19.	203005	मान सिंह	ई०डब्ल्यू०एस०	10-07-1994
20.	201070	बीनू सिंहल	एस०सी० महिला	31-01-1991
21.	203560	स्मिता	बी०सी० महिला	20-11-1994
22.	202714	सुमन कुमारी	बी०सी० महिला	26-09-1990
23.	204099	इतिशा बबेरवाल	एस०सी० महिला	20-09-1996
24.	204683	निरंजन अटल	एस०सी०	28-09-1991
25.	204749	प्रद्युमन सिंह	एस०टी०	03-07-2000
26.	205305	सूर्य प्रताप मीणा	एस०टी०	02-12-1993
27.	202340	चेतन कुमार आर्य	एस०सी०	28-11-1998
28.	200604	कृतिका सोमावत	एस०टी० महिला	15-09-1999
29.	200135	विकास रेना	एस०सी०	29-09-1998
30.	203841	अंकुर मीणा	एस०टी०	21-08-1989
31.	204133	राज कुमार मीणा	एस०टी०	10-08-1997
32.	202116	प्रियंका	पी०एच० (एच०आई०) महिला	05-01-1997
33.	201719	श्वेता दाधिच	(विधवा) महिला	20-02-1984
				23-10-1991

उक्त नियुक्तियों निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैं:-

- 1 यह नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन एस०बी० सिविल रिट पिटीशन संख्या 5994/2021 सरोज चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन एस०बी० सिविल रिट पिटीशन संख्या 3027/2021 सन्तोष कुमार बनाम राजस्थान राज्य के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन होगी।
- 2 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प०१२(६) वित्त/ नियम/०५ दिनांक १३-३-२००६, प०६(६)वित्त/नियम/२००५ दिनांक १३-३-२००६ प०१(२)वित्त/नियम/२००६ दिनांक १३-३-२००६, प०१३(१) वित्त/नियम/२००३ दिनांक १३-३-२००६ तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम २००६ दिनांक ३०-१०-२०१७ के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एसएलपी २५५६५/२०१५ राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यक्षीन होगा।
- 3 परिवीक्षा काल (Probationer-Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
- 4 उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियों उनके चरित्र प्रमाण पत्र, मण्डल द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्यक्षीन होगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिए जायेंगे।
- 5 उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वहीं है, जो इन्होंने परीक्षा में आवेदन पत्रों के प्रारूप में अंकित की गई थी और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।
- 6 अभ्यर्थी को दो वर्ष का कार्य सफलता पूर्वक करने एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल १२ में ३१,१००/-रुपये एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
- 7 यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु मण्डल द्वारा इन्हें स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में इनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, १९९३ तथा यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- 8 यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तिया राजस्थान राज्य प्रदूषण

	नियंत्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 तथा यथा संशोधितनियमों/उपबन्धों एवं और अपेक्षाओं के सम्बन्धित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
9	यदि किसी कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी का कार्य परिवीक्षाकाल में असंतोषजनक पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कार्य दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे अविलम्ब पद से मुक्त (DISCHARGE) किया जा सकेगा।
10	राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सेवा ग्रहण पर यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11	उक्त अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता है एवं मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
12	नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में अथवा उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियाँ पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
13	अभ्यर्थियों को कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना डूंगरी, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 10 मई 2021 से 12 मई 2021 के मध्य अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र (सलग्न प्रारूप में) एवं निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
	1-विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
	2-पुलिस सत्यापन रिपोर्ट- चरित्र प्रमाण पत्र मूल
	3-राजपत्रित अधिकारियों के अलग-अलग दो चरित्र प्रमाण पत्र मूल
	4-मुख्य चिकित्सा अधिकारी या इसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण मूल

(डॉ. गोविन्द सागर भारद्वाज)
सदस्य सचिव

क्रमांक: एफ III(591)/रा.प्र.नि.मं./स्था./181

दिनांक: 22 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- 2 अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- 3 कार्यालयाध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- 4 आहरण एवं वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- 5 श्री
- 6 कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली

-11-
सदस्य सचिव

(100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में नोटरी द्वारा सत्यापित)

शपथ पत्र

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... उम्र.....
निवासी..... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि:-

1	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में, मेरी नियुक्ति पद पर हुई है। मैं उक्त पद पर परिवीक्षाकाल की अवधि में नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता/देती हूँ।
2	यह कि मेरी एक से अधिक जीवित पत्नी/पति नहीं हैं
3	यह कि (महिला अभ्यर्थी) मैंने ऐसे पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से ही कोई जीवित पत्नी हैं
4	यह कि (विवाहित पुरुष) मैंने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं किया था।
5	यह कि (अविवाहित पुरुष) मैं विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करूंगा।

शपथग्रहिता
(नाम व हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....
..... सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित पैरा 1 से तक
सही व सत्य हैं इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

शपथग्रहिता
(नाम व हस्ताक्षर)

(जो लागू हो, वही अंकित करें जो लागू न हो उसे काटे)